न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
53/2022	2022/.......	30.08.2022	30.08.2022

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रार्थी

बनाम्

सुवालाल पुत्र श्योनाथ वगै0 ढ़ाणी भानावाली तन् श्रीमाधोपुर

—अप्रार्थी

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, ढ़ाणी भानावाली वार्ड नम्बर 7 श्रीमाधोपुर की आम जनता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर एंव श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2075 रकबा 0.05 हैक्टर में प्रचलित रास्ता जो एस0एच0 37 से ढ़ाणी भानावाली तन् श्रीमाधोपुर में जाने वाला रास्ता जो मौके पर चालू रास्ता है परन्तु राजस्व अभिलेख एंव राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। [illegible] श्रीमाधोपुर ने अपनी मौका जॉच रिपोर्ट में ग्राम श्रीमाधोपुर की भूमि [illegible] 2075 [illegible] 0.05 हैक्टर किस्म बारानी. 2 की खातेदारी सुवालाल पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/2, गोपाल, मदन, रामसिंह, सीताराम [illegible]गण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:36 IST
Reason: SelfAttested

30/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मंगलचन्द हिस्सा 76/270, बाबूलाल पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 59/270 समस्त जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर खसरा नम्बर 2075 से श्रीमाधोपुर–रींगस मुख्य सड़क (एस.एच–37) से ढ़ाणी भानावाली में रास्ता जाता है। जो मौके पर चालू है। उक्त खसरा नम्बर को प्रचलित रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के लिए खातेदारों की सहमति उपलब्ध नहीं होने बाबत बताया है। उक्त रास्ते को चालू होकर सार्वजनिक हित में बताया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2075 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि पर मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शे में वर्णितानुसार करावें एंव संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एंव गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस को उक्त आदेश का भाग रहेगें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

30/08/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:36 IST
Reason: SelfAttested

30/08/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)